न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 3979–तीन/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 24.–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 116/अ–6/12–13.

1 मुस0 जमुनिया बेवा वालादीन कोरी
2 रामदेवी पुत्री बालादीन कोरी पति राज कुमार कोरी
दोनों निवासी ग्राम अमा, तहसील नौगांव जिला छतरपुर
3 राममूर्ति पुत्री बालादीन कोरी पति सुशील कोरी
निवासी म0 नं0 360 विजय नगर.चांदवड़ भोपाल
4 कु0 रचना पुत्री बालादीन कोरी
निवास ग्राम तहसील नौगांव जिला छतरपुर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मनोज कुमार कोरी वल्द शिवनारायण कोरी
निवासी ग्राम अमा, तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री के0 एस0 निगम, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सुरेन्द्र भट्ट, अभिभाषक, अनावेदक
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/12/15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 3979–तीन/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर के अपीलीय प्रकरण कमांक 116/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24.–10–2013 से परिवेदित होकर संस्थित हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । ग्राम अमा खसरा नंबर 93, 96, 98, 101, 102, 170, 175, 176, 182 कुल किता 9 रकबा 7.460 हेक्टेयर शामिल शरीक भूमि में एक हिस्सेदार बालादीन था जिसकी मृत्यु दिनांक 22–5–12 को हो गई । बालादीन की पत्नी जमुनिया एवं तीन पुत्रियां रामदेवी, राममूर्ति और रचना प्रकरण में निगराकार हैं और बालादीन का भतिजा गैर निगराकार है । निगराकार पक्ष का कहना है कि बालादीन की मृत्यु के बाद गैर निगराकार ने जो बालादीन की कथित वसीयत के आधार पर तहसीलदार के प्रकरण कमांक 57/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 23–6–12 से अपने हित में नामांतरण कराया वह गलत था । इसकी अपील निगराकारगण ने अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव के समक्ष की थी, जिन्होंने अपने प्रकरण कमांक 115/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 12–11–12 से तहसीलदार द्वारा किया गया नामांतरण निरस्त किया । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष गैरनिगराकार ने अपील की जहां गैर निगराकार के पक्ष में निर्णय हुआ, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी दायर हुई ।

3/ प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को पक्ष समर्थन एवं तर्क का अवसर दिया गया । उन्होंने लिखित तर्क प्रस्तुत करना चाहा । निगराकार के लिखित तर्क प्राप्त हुये जिसकी प्रति गैर निगराकार अधिवक्ता को दी गई । गैर निगराकार के तर्क समय दिए जाने के बावजूद प्राप्त नहीं हुए । अतः मेरे द्वारा अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन कर उनके, एवं निगराकार पक्ष के समस्त बिन्दुओं को विचार में लिया जा रहा है । इसके आधार पर प्रकरण में निम्न मुख्य बिन्दु विचार हेतु समक्ष आते हैं:–

(1) वाद भूमि शामिल खाते की पैतृक संपत्ती है, जिसमें स्व0 बालादीन का भी हिस्सा था ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निगराकारगण को उनके समक्ष संयोजित कराने का आवेदन नहीं देने के संबंध में अधिवक्ता द्वारा की गई भूल के कारण निगराकारगण को

दण्डित नहीं करने का निर्णय लिया गया था, जो न्यायहित में निगराकारगण के हितबद्ध पक्षकार होने के प्रकाश में लिया गया था ।

(3) वसीयतकर्ता बालादीन के वसीयतनामें पर हस्ताक्षर किसी अन्य दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर से मिलान किए जाने संबंधी निष्कर्ष किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिए गए हैं ।

(4) तहसील न्यायालय के प्रकरण में इश्तहार मृतक बालादीन की त्रयोदशी एवं गंगाजली के आयोजन के आस पास जारी किया गया है । जबकि निगराकारगण मृतक की पत्नी एवं पुत्रियां थी, तो भी इस इश्तहार के पृष्ठ भाग में उनके हस्ताक्षर नहीं लिये जाकर अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर लिए गए हैं जिनमें से एक व्यक्ति वसीयतग्रहीता मनोज एवं दो व्यक्ति कथित वसीयत के साक्षी हैं । निगराकारगण का मृतक की पत्नी एवं पुत्रियां होने का उल्लेख वसीयतनामें में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिस कारण तहसीलदार को यह अवश्य ज्ञात था/देखना चाहिए था कि वे (निगराकारगण) प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं, एवं उन्हें निर्णय के पूर्व नोटिस तामील कराना चाहिये था, जो तहसीलदार ने नहीं किया । इस कारणवश निगराकारगण तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख पाए, और ना ही साक्षियों का प्रतिपरीक्षण हुआ ।

(6) निगराकारगण का कहना है कि शोक संदेश में जो मृतक बालादीन की फोटो उन्होंने गैरनिगराकार को दी थी, उसी का उपयोग करके गैरनिगराकार ने वसीयतनामा बनाया। अभिलेख देखने पर दोनों फोटो समान दिखती हैं, किन्तु इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वसीयतनामा कूटरचित है, क्योंकि फोटो बालादीन के जीवित होने के समय की है, जिसका उपयोग वह तत्समय वसीयतनामे पर कर सकते थे ।

(7) मृतक बालादीन की पत्नी (निगराकार कमांक–1) ने सरपंच के माध्यम से पंचनामे पर पटवारी को एक अ–दिनांकित आवेदन अपने एवं अपनी 2 पुत्रियों (निगराकार कमांक 2 एवं 3) के हित में नामांतरण कराने के लिये दिया है, जो अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में देखा जा सकता है ।

(8) निगराकार कमांक 1 का कहना है वह एक अशिक्षित, वृद्ध विधवा महिला है जिसे अपने भरण पोषण के लिये वाद सम्पत्ती की आवश्यकता है । गैर निगराकार द्वारा वाद भूमि को हड़प कर उसे संपत्ती से बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है जिससे उसके सामने भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है ।

4/ अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने एक अति संक्षिप्त आदेश पारित किया है, जिसमें ऊपर लिखे बिन्दुओं पर समुचित विचार किये बगैर और उन पर साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण, विवेचना आदि किए बगैर निर्णय पारित कर दिया गया है । अतः मैं अपर आयुक्त का आदेश समुचित रूप से समाधानकारक नहीं होने के कारण निरस्त करता हूँ एवं राजस्व मण्डल का यह प्रकरण अपर आयुक्त को यह निर्देश देते हुए समाप्त करता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक 116/अ–6/12–13 पुनः खोलें एवं उसमें इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा में लिखे गए समस्त बिन्दुओं का हवाला लेते हुए, उन पर विधि अनुसार साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि कराते हुए उभयपक्ष एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर, विवेचना कर पुनः समुचित रूप से बोलता हुआ आदेश इस राजस्व मण्डल के आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर, नए सिरे से पारित करें । इसी दौरान यदि किसी पक्षकार को स्वत्व निर्धारण के लिये व्यवहान न्यायालय जाने की आवश्यकता हो, तो इस हेतु भी अवसर दें ।

आदेश पारित ।

प्रकरण समाप्त ।

पक्षकार एवं अपर आयुक्त सूचित हों ।

अभिलेख वापस हो ।

दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर